27/18 बुधाराम vs मूला वगैरा

18.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सणपा मानजी में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। प्रार्थी मानाराम उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। प्रार्थी मानाराम की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.27 / 2018

प्रार्थीगण

1.बुधाराम पुत्र ईशराराम
2.मानाराम पुत्र ईशराराम
3.पूजाराम पुत्र ईशराराम
4.श्रीमति करमो पत्नि ईशराराम
5.भंवराराम पुत्र खुशालाराम
6.नरसिंगाराम पुत्र खुशालाराम
7.पूनमाराम पुत्र खुशालाराम
जाति कुम्हार
निवासी सणपा मानजी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1.मूला पुत्र भैरा
2.बाबु पुत्र भैरा
3.हस्ता पुत्र भैरा
4.रूधा पुत्र उदा जाति नाई
निवासी सणपा मानजी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
5.भूराराम पुत्र राणाराम
6.दमाराम पुत्र राणाराम
7.गुणेशाराम पुत्र राणाराम
8.बस्ताराम पुत्र कौशलाराम
9.थानाराम पुत्र कौशलाराम
10.श्रीमति द्रोपी पत्नि कौशलाराम
11.भीखाराम पुत्र किरताराम
12.राजूराम पुत्र किरताराम जाति कुम्हार
निवासी सणपा मानजी
13.तगाराम पुत्र निम्बाराम
14.पदमाराम पुत्र निम्बाराम
15.भलाराम पुत्र निम्बाराम
16.चेतनराम पुत्र निम्बाराम
17.श्रीमति भीखी पत्नि निम्बाराम
जाति धांची निवासी सणपा मानजी
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
18.पता खोले उदा कौम मेगवाल
निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी
व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

19.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–18.5.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को [..]वाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 267 रकबा 21–10 बीधा व खसरा संख्या 492/62 रकबा 8–17 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner